न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारीः-रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः-24/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री हजारी पिता श्री गोकल, जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
2. श्री दयाराम पिता श्री गोकल, जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
3. श्री मांगू पिता श्री गोकल, जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
4. श्री नारायण पिता श्री गोकल, जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
5. श्रीमति धापु देवी पत्नि श्री गोकल, जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
6. श्री गोपाल पिता श्री मोहन, जाति दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
7. श्री देवीसिंह पिता श्री वालु, जाति दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
8. श्री पप्पूसिंह पिता श्री प्यारा, जाति दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
9. श्री कालुसिंह पिता श्री प्यारा, जाति दरोगा, उम्र वयस्क, निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
10. मंजू पुत्री प्यारा, जाति दरोगा, उम्र नावालिग, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति भंवरी पत्नि श्री प्यारा, जाति दरोगा निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
11. श्रीमति भंवरी पत्नि प्यारा.जाति दरोगा, उर्म वयस्क, निवासी चिताम्बा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा(राज0)

---प्रार्थी

वनाम

1. श्री अजीतसिह पिता श्री दलेलसिह, जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
2. श्री मालुमसिंह पिता श्री दलेलसिह, जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0
3. श्री कुलदीपसिंह पिता श्री लक्ष्मणसिंह, जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)
4. श्री दिग्विजयसिह पिता श्री लक्ष्मणसिह, जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी चिताम्बा तह0 करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

5. श्री गजराजसिंह पिता श्री लक्ष्मणसिंह, जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी चिताम्बा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)
6. भंवरकंवर पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह, जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी चिताम्बा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)
7. श्रीमति मंगलाकंवर पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह, जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी चिताम्बा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)
8. नेमकंवर पुत्री श्री दलेलसिंह, जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी चिताम्बा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)
9. किस्मतकंवर पुत्री श्री दलेलसिंह, जाति राजपुत, उम्र वयस्क निवासी चिताम्बा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)
10. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चिताम्बा, जरिये प्रबंधक
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1–श्री ताराचंद जैन – अधिवक्ता–प्रार्थीगण
2–श्री जी.एस.राठौड़ – अधिवक्ता–विपक्षीगण
3–श्री एस.एल.वैद – अधिवक्ता–विपक्षीगण

:: निर्णय :: दिनांकः–01.05.2018

प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल के यहां विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के स्वामित्व, आदिपत्य एवं खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजी ग्राम चिताम्बा तह0 करेड़ा में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

(क)–प्रार्थी संख्या 01 से 05 के नाम पर खाता संख्या 535 में आ0न0 331 रकबा 10 बिस्वा, आ0न0 332 रकबा 05 बिस्वा, कुल किता 02 रकबा 15 बिस्वा, एवं खाता संख्या 21 में आ0 न0 330 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, आ0 न0 333 रकबा 07 बिस्वा, आ0न0 334 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आ0 न0 335 रकबा 06 बिस्वा, आ0 न0 336 रकबा 15 बिस्वा, आ0न0 337 रकबा 09 बिस्वा, आ0 न0 338 रकबा 03 बिस्वा, आ0न0 339 रकबा 03 बिस्वा, आ0न0 340 रकबा 1 बीघा , आ0न0 341 रकबा 18 बिस्वा, आ0न0 342 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आ0न0 342 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आ0न0 343 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आ0न0 344 रकबा 11 बिस्वा, आ0न0 345 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, आ0न0 346

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

रकबा 06 बिस्वा, आ0नं0 347 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, कुल किता 16 रकबा 16 बीघा दर्ज रेकार्ड है।

(ख)–प्रार्थी संख्या 06 के नाम पर खाता संख्या 81 में आ0नं0 320/1 रकबा 1 बीघा,आ0नं0 322/ रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 323/2 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा, एवं प्रार्थी संख्या 07 के नाम आ0नं0 302 रकबा 10 बिस्वा, आ0नं0 304 रकबा 16 बिस्वा, आ0नं0 306 रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 307 रकबा 03 बिस्वा, आ0नं0 308 रकबा 16 बिस्वा, आ0नं0 309/1 रकबा 01 बिस्वा, आ0नं0 310/1 रकबा 03 बिस्वा, आ0नं0 315 रकबा 01 बिस्वा, आ0नं0 316 रकबा 02 बिस्वा, आ0नं0 317 रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 321 रकबा 1 बिस्वा, आ0नं0 322 रकबा 02 बिस्वा, आ0नं0 323/1 रकबा 16 बिस्वा, तथा प्रार्थी संख्या 08 लगायत 11 के नाम पर आ0नं0 311 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आ0नं0 312 रकबा 1 बिस्वा, आ0नं0 316/1 रकबा 03 बिस्वा, आ0नं0 320 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आ0नं0 321/1 रकबा 03 बिस्वा, आ0नं0 323 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, आ0नं0 323/3 रकबा 02 बिस्वा, आ0नं0 325 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, आ0नं0 326 रकबा 18 बिस्वा, आ0नं0 327 रकबा 07 बिस्वा, आ0नं0 328 रकबा 14 बिस्वा, आ0नं0 329 रकबा 17 बिस्वा, दर्ज राजस्व रेकार्ड है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 के नाम पर ग्राम चिताम्बा के खाता संख्या नया 421 में आराजी नं0 1012 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा अन्य आराजीयात के साथ दर्ज रेकार्ड है। तथा विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 के नाम पर खाता संख्या 163 में आराजी नं0 3618/1012 रकबा 05 बीघा सयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण चरण संख्या 1 में वर्णित स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारो की आराजीयात में आने जाने एवं कृषि उपकरण संज बैलगाडी, ट्रेक्टर, मवेशी इत्यादि लाने लेजाने का एकमात्र सरल सुगम रास्ता विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज आराजी सं0 1012 के दक्षिण में स्थित आराजी सं0 984 रकबा 1.03 बीघा बिलानाम गे0मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड से विपक्षी संख्या 1 की आराजी सं0 1012 के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे होता हुआ विपक्षी सं0 1 लगायत 9 की आराजी सं0 3618/1012 पश्चिमी मेड से होता हुआ आराजी सं0 324 बिलानाम सरकार गे0मु0 रास्ता में होते हुए प्रार्थीगण की आराजीयात में जाता है। अर्थात बिलानाम गे0मु0 रास्ता आराजी सं0 984 व 324 के मध्य स्थित विपक्षीगण की आराजीयात की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 12 फिट चौडा रास्ता डबल डोटेड रास्ते के रूप में राजस्व नक्शे में दर्ज रेकार्ड है से ही होकर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो क समय से उपयोग उपभोग अपने खाते की कृषि आराजीयात में आने जाने एवं कृषि उपकरण संज बैलगाडी ट्रेक्टर मवेशी लाने ले जाने में निरंतर निर्वाद रूप से करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने का अन्य कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने के उक्त रास्ते को प्रार्थनापत्र के साथ सलग्न नजरी मार्क अ,ब,स से दर्शाया गया है। नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र का आवश्यक अंग है।

विपक्षीगण प्रार्थीगण आराजीयात के पडोसी होकर प्रार्थीगण से अकारण रंजिश रखते है दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने के उक्त रास्ते को जिसे संलग्न नजरी नक्शे में मार्क अ,ब,स से दर्शाया गया है से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के

उपखंड अधिकारी एवम
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

परिवारजन द्वारा उपयोग उपभोग करने से वंचित करने पर आमादा है इस हेतु विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण व उनके परिवारजन के साथ लडाई झगडा व गाली गलोच करते रहते है तथा धमकी देते है कि तुम हमारी आराजी में से निकलना बंद कर दो, हमारे खेतो में तुम्हारा कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण ने कई मर्तबा विपक्षीगण को समझाने की कोशिश की, ओर कहा की हमारे खेतो मे आने जाने व रांज बैलगाडी लाने ले जाने का अन्य ओर कोई रास्ता नही है इस रास्ते में विपक्षी हस्तक्षेप, बाधा एवं रूकावट करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षीगण की आराजी नं0 1012 व 3618/1012 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे करीब 12 फीट चौडाई का रास्ता नजरी नक्शे में मार्क अ,ब,स में दर्शायेनुसार मोके पर मौजुद है को रास्ते के रूप में दर्ज कराया जाना की स्वीकृति प्रदान कर राजस्व नक्शे में दर्ज करने की आज्ञा फरमावें तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने में विपक्षी किसी प्रकार की बाधा रूकावट पैदा नही करने, रास्ते को बंद नही करने बाबत् पाबंद कराया जावें।

इस न्यायालय को उपखण्ड न्यायालय नवीन सृजित हो जाने से न्यायालय मांडल से यहां अंतरित होकर प्राप्त हुई। तत्पश्चात् संबधित पक्षकारों के अधिवक्ताओं पेशियों की निर्धारित हो जाने की सूचना बार एसोसिएशन मांडल को भेजी गई।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने से पंजीबद्ध कर विपक्षीगण की सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी किये। जारी नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1,2,5,6 व 7 अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये थे। इसी कम में आदेशिका दिनांक 14.11.17 के अनुसार विपक्षी सं0 1, 2 व 7 का भी जवाब बंद किया गया। इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा उदारता बरती जाकर दिनांक 22.01.2018 को समस्त विपक्षीगण सं. 01 लगायत 09 की ओर से श्री जी0एस0 राठौड का अधिकार पत्र वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु प्रस्तुत होने पर रेकार्ड पर लिया जाकर न्यायालय द्वारा समुचित अवसर प्रदान किये। इसके बावजूद भी राजस्व लोक अदालत शिविर में भी विपक्षीगण की ओर से कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं होने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किये जाने का आदेश दिये गये।

पत्रावली इस न्यायालय के समक्ष निर्धारित पेशी पर पेश हुई, पक्षकारों को आवाज लगाई गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुये व विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा। पेरोकार सरकार उपस्थित मौका रिपोर्ट विपक्षी सं0 11 राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई। न्यायालय समय तक इंतजार करने के बाद पूर्व की आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर अब तक विपक्षी की ओर से आवश्यक एवं शीघ्र निस्तारण की प्रकृति के मामले को मध्यनजर रखते हुए अन्य कोई अवसर दिया जाना उचित न समझते हुये प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस, फोटोग्राफ एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की आराजियात पर आने-जाने, संज बैलगाडी एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार की मौका

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने का रास्ता आराजी नं0 1183, बिलानाम रास्ता 1143, 1035, 1038, 984 तथा श्री अजितसिंह पिता दलेलसिंह की खातेदारी आराजी नं0 1012 में से होकर श्री मालुमसिंह पिता दलेलसिंह राजपूत की खातेदारी आराजी नं0 3618/1012 में से होते हुए सरकारी रास्ता आराजी नं0 324 में से होकर प्रार्थीगण के खेतो में पहुंचता है इसके अलावा प्रार्थीगण के खेतो में आने जाने का ओर कोई रास्ता नही है। विपक्षी श्री अजितसिंह पिता दलेलसिंह की खातेदारी मे 126 गुणा 2 वर्ग गट्ठा अर्थात 13 बिस्वा एवं मालुमसिंह पिता दलेलसिंह की खातेदारी में 48 गुणा 2 वर्ग गट्ठा अर्थात 5 बिस्वा रास्ता की भूमि होती है जिसे प्रार्थीगण द्वारा 251ए के तहत् रास्ता प्राप्त कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना चाहते है। रास्ते में ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षीगण को देय है प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है।

मैने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन एवं मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण सं0 1 लगायत 9 उचित एवं सम्यक प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रकरण में प्रस्तुत नजरी नक्शा दिनांक 11.11.2017 इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी श्री अजितसिंह पिता दलेल सिंह की खातेदारी आराजी नं0 1012 में से रास्ते का रकबा 13 बिस्वा एवं श्री मालुमसिंह पिता दलेलसिह की खातेदारी आराजी सं0 3618/1012 में रास्ते का रकबा 5 बिस्वा भूमि (मुताबिक नजरी नक्शा दिनांक 11.11.2017) के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 12 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की आराजियात पर कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा में भी रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना में तहसीलदार करेडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावें कि जिस अर्थात् अजीतसिंह एवं मालूमसिंह विपक्षी की आराजियात में रास्ते के लिए जितनी भूमि रास्ता हेतु सुरक्षित की जाती है उसकी डी.एल.सी दर से दोगुणा मूल्य प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति हेतु दी जावें। यदि उक्त दोनो विपक्षीगण बावजूद सूचना उक्त राशि प्राप्त नहीं करते है तो राजकोष में जमा कराई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प चिताम्बा पर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाडा

उपखंड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner